

9.9.XV अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मन्त्र
 के पत्रावली में भी शामिल नहीं किया गया. अतः प्रस्ताव
 के अनुसार आप ही सुनवाई करने का
 निवेदन किया गया. अतः अधिवक्ता इस
 दिनांक 16.9.XV को वरत मन्त्र के कथन
 परतर्कित किया गये. पत्रावली करते वरत
 दिनांक 18.9.XV को पेश हो.

11.9.XV अधिवक्ता गण उप-प्रतिवेदन सं० 6
 की जोर से बकाय प्रेषित प्रस्ताव
 शामिल हो प्रतिलिपि वाले अधिवक्ता
 को दी गयी. प्रार्थी अधिवक्ता
 प्रेषित प्रस्ताव आदेश 8 नियम
 17 पर प्रस्ताव शामिल हो. प्रतिलिपि
 अधिवक्ता को दी गयी.
 अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा बकाय प्रेषित
 प्रस्ताव नहीं करने के कथन किया गये.
 प्रस्ताव सुनी गयी पत्रावली करते
 आदेश दिनांक 14.9.XV को पेश हो.

By
 No object
 11/9
 प्रस्ताव सुनी
 चालत

14.09.20

आज पीठासीन अधिकारी.....
 पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
 दिनांक 15.09.20 को पेश हो